न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हरिसिंह देवल (आर.ए.एस

रा.प्रा.प.संख्या 104 / 2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1– महेन्द्रकुमार पुत्र श्री वीसाराम		1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही राज.
2– देविका पत्नि श्री महेन्द्रकुमार		2– हंजा पत्नि भगवानरामजी माली
3– प्रकाशकुमार पुत्र श्री वीसाराम		आयु व्यस्क जाति माली नि.कृष्णापुरी
सभी आयु व्यस्क जाति प्रजापत		3– गोपाल माली पुत्र श्री हकमाजी माली
निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही		नि. वैधनाथ कॉलोनी तह. सिरोही

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से विद्वान वकील श्री ऋषि माथुर

2– अप्रार्थी संख्या एक स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश

दिनांक 04–02–2026

प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12–07–2021 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील व जिला सिरोही मे खाता संख्या 226 खसरा संख्या 280 क्षैत्रफल 01.4200 हैक्टेयर कुल खसरा 1 रकबा 01.4200 हैक्टेयर वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 ता 2 का संयुक्त रूप से 1/3 खातेदारी हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा और कब्जा काश्त है। इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 2 का भी उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/3 खातेदारी हक हिस्सा रहा है। प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 2 ने वर्णित कृषि भूमि को श्री बंशीलाल सोनी और श्री नरेशकुमार सोनी से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16–11–2011 के खरीद कर कब्जा धारण किया है जिससे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के नाम का अंकन नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 22–11–2011 के जरिये दर्ज हुआ है लेकिन उक्त नामान्तकरण मे केवल प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अंकित किये है पक्षकारान के हिस्सों का उल्लेख नही किया गया है। वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 ने 1/3 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 2 ने भी उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/3 हिस्से को खरीद किया है। प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 2 उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे खरीद की तिथि से ही अपने हक हिस्से अनुसार लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते आ रहा है और इसी हक हिस्से अनुसार आज भी काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने संवत 2066 से संवत 2069 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 22–11–2011 का उल्लेख करते हुये पक्षकारान के नाम तो अंकित किये है लेकिन उनके हिस्सों का अंकन नही किया है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत 2070 से संवत 2073 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मेन्टेन करते समय प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के हिस्से गलत रूप से अंकित कर दिये है। राजस्व

कर्मचारियों को चाहिये था कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 280 की खातेदारी मे प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से सही रूप से अंकित करते क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 ने 1/3 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 2 ने भी उपरोक्त कृषि भूमि मे 1/3 हिस्सा खरीद किया है जिससे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे पक्षकारान के हिस्से इसी हक हिस्से अनुसार अंकित करने चाहिये थे लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी मे 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी मे 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी मे 1/4 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी मे भी 1/4 हिस्सा त्रुटिवश अंकित कर दिया है। इसी दौरान अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हक हिस्से की 1/3 कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 27–6–2014 के विकय कर दी है और उक्त 1/3 हिस्से का कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 3 को सुपुर्द कर दिया है लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 3 का नाम अभी तक नामान्तकरण के जरिये अंकित नही हुआ है बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 का नाम ही अंकित चला आ रहा है जिससे उपरोक्त प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 2 और अप्रार्थी संख्या 3 दोनो को ही पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिनका पूरा परिवार उक्त कृषि भूमि की आय पर निर्भर रहता है लेकिन संवत 2070 से 2073 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी को मेन्टेन करते समय प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सों का अंकन गलत रूप से हो गया है जिससे सभी पक्षकारान को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है साथ ही राजस्व रेकर्ड मे उक्त गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है तथा राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी प्रार्थीगण को नही मिल पा रहा है। तथा प्रार्थीगण को राजकीय कार्यो मे रूकावट भी पैदा हो रही है जिससे प्रार्थीगण के लिये उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई पक्षकारान स्वीकार फरमाया जाकर शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 226 खसरा नंबर 280 रकबा 01.4200 हेक्टेयर मे प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 3 के अंकित हिस्सों को दुरूस्त करने और उनके वास्तविक हक हिस्से को राजस्व रेकर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश पारित करना फरमावें अर्थात राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अंकित गलत हिस्सों मे संशोधन करते हुये प्रार्थी संख्या 1 ता 2 के हिस्से मे संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की खातेदारी, प्रार्थी संख्या 3 के हिस्से मे 1/3 हिस्से की खातेदारी और अप्रार्थी संख्या 2 अथवा 3 के हिस्से मे भी 1/3 हिस्से की खातेदारी अंकित किये जाने का आदेश पारित करना फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे संलग्न शहर सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 280 की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति, विकय विलेख दिनांक 16–11–2011 की प्रमाणित प्रति, गिफट डीड दिनांक 27–06–2014 की प्रमाणित प्रति व नामान्तकरण संख्या 147 की प्रति नजरी नक्शा की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12–07–2021 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व स्टेट

तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 28–09–2021 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसे शा.मि. किया गया। उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित में समय दिया गया ।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने अपने जवाब अलग अलग दिनांक 03–09–2021 को एक ही समान तथ्यों पर आधारित जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे अंकित पैरा संख्या 1 सं 8 तक के तथ्यों को सही होना स्वीकार कर जवाब दिया है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने अपने हक हिस्से की 1/3 कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27–6–2014 को बक्षीस कर दी है और उक्त 1/3 हिस्से का कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 3 को सुपुर्द कर दिया है लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 3 का नाम अभी तक नामान्तकरण के जरिये अंकित नही हुआ है बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का ही नाम अंकित चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड मे पक्षकारान के गलत रूप से अंकित हिस्सों का शुद्विकरण करवाया जाना अतिआवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का निवेदन है कि प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नही है।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 24–03–2023 को अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 824 दिनांक 24–2–2023 के जवाब इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ जिसे शा.मि. किया गया।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 1 जमाबंदी वर्तमान ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही प्रथम के खाता संख्या 226 अनुसार प्रार्थी का कथन स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही प्रथम की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 368 (खसरा नंबर 280 रकबा 1.4200, 395 रकबा 2.4000 व 395/4232 रकबा 0.0100 कुल किता 3 कुल रकबा 3.8300 हैक्टेयर) मे अंकित प्रविष्टि अनुसार जरिये नामानतकरण संख्या 37/24–11–2009 से खसरा नंबर 280 रकबा 1.4200 हैक्टेयर मे प्रकाशकुमार पुत्र डायालालजी सोनी हि. 1/3 राघवेन्द्रकुमार पुत्र देवेन्द्रकुमार सोनी 1/3 सा.देह, नरेशकुमार पुत्र बाबुलालजी सोनी 1/3 सा.स्वरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जाति सोनी दर्ज हुआ था। तत्पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 147/22–11–2011 द्वारा खसरा नंबर 280 रकबा 1.4200 हैक्टेयर मे प्रकाशकुमार पुत्र वीसारामजी, महेन्द्रकुमार पुत्र वीसारामजी, देविका पत्नि महेन्द्रकुमारजी प्रजापत सा.सिरोही व हंजा पत्नी भगवानारामजी जाति माली सा.देह खातेदार का अंकन दर्ज हुआ जिसमे हिस्सों का अंकन नही हुआ है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 4 से 7 उपरोक्त बिन्दुओं मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि डीआईएलआरएमपी के तहत जमाबंदी खाते सेग्रीगेट

करते समय खसरा नंबर 280 मे खातेदारों–प्रकाशकुमार, महेन्द्रकुमार, देविका व हंजा के हिस्से अंकित न होने से समान मानते हुये प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अंकित हुआ है जो पजीयन दस्तावेज के आधार पर निर्धारित किया जाना समीचीन है। शेष तथ्यों की पुष्टि प्रार्थीगण द्वारा किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थनापत्र के शेष बिन्दु संख्या 8 से 12 प्रत्युत्तर अपेक्षित नही है।

इस न्यायाायालय में विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली में वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । विचाराधीन प्रकरण की संपूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व राजस्व रेकर्ड प्रतियॉ विक्रय विलेख, गिफट डीड व नामान्तकरण प्रति व जमाबंदी नकल का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। पैरोकार सरकार ने भी अपने बहस मे तहसीलदार सिरोही के मौके एवं रेकर्ड के आधारित जवाब जिसके अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को एडमिट (स्वीकारोक्ति) की है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 3 के अपने जवाब मे प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को स्वीकार किये जाने के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही बताया है।

हमने प्रकरण मे वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही के अपने जवाब में मौके एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार सही होना स्वीकार करने से तथा पैरोकार सरकार ने भी तहसीलदार सिरोही के जवाब के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 3 ने भी अपने जवाब मे प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे अंकित पैरा संख्या 1 सं 8 तक के तथ्यों को सही होना स्वीकार कर जवाब दिया है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने अपने हक हिस्से की 1/3 कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27–6–2014 को बक्षीस कर दी है और उक्त 1/3 हिस्से का कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 3 को सुपुर्द कर दिया है लेकिन वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 3 का नाम अभी तक नामान्तकरण के जरिये अंकित नही हुआ है बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का ही नाम अंकित चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड मे पक्षकारान के गलत रूप से अंकित हिस्सों का शुद्विकरण करवाया जाना अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नही होना बताया है।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र लिपिकिय त्रुटि की श्रेणी मे आने से राजस्व रेकर्ड न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि शहर सिरोही पटवार हल्का सिरोही प्रथम तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 226 खसरा नंबर 280 रकबा 01.4200 हेक्टेयर मे प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 3 के

अंकित हिस्सों को दुरूस्त करने और उनके वास्तविक हक हिस्से को राजस्व रेकर्ड मे अंकित करें अर्थात राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अंकित गलत हिस्सों मे संशोधन करते हुये प्रार्थी संख्या 1 ता 2 के हिस्से मे संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की खातेदारी, प्रार्थी संख्या 3 के हिस्से मे 1/3 हिस्से की खातेदारी और अप्रार्थी संख्या 2 अथवा 3 के हिस्से मे भी 1/3 हिस्से की खातेदारी अंकित कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर पालना से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हरि सिंह देवल)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 04–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.आ.)
सिरोही (राज.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)